

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।

बी० सी० सी० ए० वाद संख्या— 52 / 2020

राज्य बनाम अवधेश यादव उर्फ सज्जन यादव

आदेश

यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने अपने पत्रांक-3482/अप०शा०, दिनांक-28.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अवधेश यादव उर्फ सज्जन यादव, पिता- स्व० अशर्फी यादव उर्फ खोखा यादव, साकिन- परताहा, थाना- नवहट्टा (डरहार ओ०पी०), जिला- सहरसा एक सक्रिय व कुख्यात अपराधकर्मी है। इनके द्वारा कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया गया है। इनका साठ गांठ कई सक्रिय अपराधकर्मियों के साथ है। इनके द्वारा किये गये अपराध से आमजनों में भययुक्त माहौल बना रहता है और इनके आतंक से लोग काफी भयभीत रहते हैं। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। आगामी बिहार विधान सभा चुनाव- 2020 में ये विभिन्न दलों के साथ मिलकर अपनी दबंगता एवं अपराधिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे विधानसभा चुनाव 2020 को स्वच्छतम सम्पन्न कराने में व्यवधान पड़ने की संभावना बतायी गयी है। उक्त अपराधकर्मी को बाहर रहने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त अपराधी भा०द०वि० के अध्याय 16 एवं 17 में उल्लेखित दंडनीय अपराध में संलिप्त रहता है तथा अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 के धारा-2 (डी.) में वर्णित असामाजिक तत्व की परिभाषा इस पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है।

- i. नवहट्टा (डरहार ओ०पी०) थाना कांड संख्या-102/04 दिनांक-08.11.04 धारा-147/148/149/323/307 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या-07/05 दिनांक-14.03.05 समर्पित।
- ii. नवहट्टा (डरहार ओ०पी०) थाना कांड संख्या-108 दिनांक-30.11.07 धारा-341,323,307,324,34 भा०द०वि० में आरोप पत्र संख्या-104/10 दिनांक-14.11.10 समर्पित।
- iii. नवहट्टा (डरहार ओ०पी०) थाना कांड संख्या-66/09 दिनांक-09.07.09 धारा-147,148,149,342,323,379,436,504 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट में पूरक आरोप पत्र संख्या-147/11 दिनांक-27.11.11 समर्पित।
- iv. नवहट्टा (डरहार ओ०पी०) थाना कांड संख्या-40/11 दिनांक-04.05.11 धारा-147,148,149,504,506 भा०द०वि० एवं 3 (x)(xv) अनु०जाति एक्ट में आरोपित।
- v. नवहट्टा (डरहार ओ०पी०) थाना कांड संख्या-224/14 दिनांक-30.11.11 धारा-341,323,384,380,447,448,504,506 भा०द०वि० में आरोप पत्र संख्या-92/14 दिनांक-31.12.14 समर्पित।
- vi. नवहट्टा (डरहार ओ०पी०) थाना कांड संख्या-215/17 दिनांक-25.12.17 धारा-341,323,447,384,386,504,506/34 भा०द०वि० एवं 3(1) (s) अनु०जाति/ जन जाति अधिनियम में आरोप पत्र संख्या-14/18 दिनांक-30.04.18 समर्पित।
- vii. नवहट्टा (डरहार ओ०पी०) थाना कांड संख्या-19/2019 दिनांक-05.07.19



6

धारा-341,323,325,307,379 / 34 में आरोपित।

पुलिस को सूचना मिली कि अवधेश यादव उर्फ सज्जन यादव असामाजिक तत्वों को एकत्र कर विधानसभा चुनाव 2020 में अपने समर्थित अभ्यर्थी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई कि इनके द्वारा आगामी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किये जाने की योजना बनाया जा रहा है, जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से पत्रांक-531/न्याया0/सपत्र, दिनांक-01.10.2020 द्वारा नोटिस जारी कर प्रतिवादी को अपना कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु दिनांक- 05.10.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न निर्धारित की गई। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक-3757/अप०शा०, दिनांक-06.10.2020 से प्रतिवादी के नोटिस का तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में उपलब्ध कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। प्रतिवादी नोटिस का तामिला प्राप्त कर भी निर्धारित तिथि- 05.10.2020 को उपस्थित नहीं हुए।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने बताया कि इन पर वर्णित काण्ड में जो आरोप है, वह गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को छोड़ना न्यायहित एवं लोकहित में उचित नहीं है।

प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अन्तर्गत ये " असामाजिक तत्व " है तथा इसकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान 1981 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिस पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अवधेश यादव उर्फ सज्जन यादव, पिता- स्व० अशर्फी यादव उर्फ खोखा यादव, साकिन- परताहा, थाना- नवहट्टा (डरहार ओ०पी०), जिला- सहरसा को बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने अर्थात् दिनांक- 10.11.2020 तक के लिए सहरसा जिला के थाना- नवहट्टा (डरहार ओ०पी०) से थाना- बिहरा के लिए थाना बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक- 14.10.2020 से सहरसा जिला के बिहरा थाना में सदैह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं 5.00 बजे अपराह्न से 8.00 बजे अपराह्न के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक- 07.11.2020 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे, तो उन्हें लिखित रूप से सूचना संबंधित थाना में व मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का



6

समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण व्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।

थानाध्यक्ष, बिहरा को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना मे नवहट्टा (डरहार ओ0पी0) थाना से तडीपार किये गए अवधेश यादव उर्फ सज्जन यादव, पिता- स्व0 अशर्फी यादव उर्फ खोखा यादव, साकिन- परताहा, थाना- नवहट्टा (डरहार ओ0पी0), जिला- सहरसा के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।


आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा/ थानाध्यक्ष नवहट्टा (डरहार ओ0पी0)/थानाध्यक्ष बिहरा को भेजें।


अवधेश यादव उर्फ सज्जन यादव को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष नवहट्टा (डरहार ओ0पी0) को भेजें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा सहरसा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिये अग्रसारित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत



जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।


जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा

ज्ञापाक 650 / न्याया0, सहरसा, दिनांक-13.10.20

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थानाध्यक्ष नवहट्टा (डरहार ओ0पी0)/थानाध्यक्ष बिहरा/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अवधेश यादव उर्फ सज्जन यादव, पिता- स्व0 अशर्फी यादव उर्फ खोखा यादव, साकिन- परताहा, थाना- नवहट्टा (डरहार ओ0पी0), जिला- सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

